न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 252/2023 तारीख रजूः—29.12.2023

जीसीएमएस नं0—2023/595

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1.	धारासिंह	पिसरान रामजीलाल	समस्त जाति योगी
2.	बाबूलाल		
3.	सोनू पुत्र कलुआ पुत्र रामजीलाल		निवासी सिकरौदा मीना
4.	राहुल पुत्र कलुआ		
5.	रीना पुत्र कलुआ नाबालिग जरिये माता रामपति		तहसील हिण्डौन
6.	रामपति बेवा कलुआ		जिला करौली —— सायलान

बनाम

1.	बलवीर	पिसरान रामखिलाडी पुत्र चिरंजी	समस्त जाति योगी
2.	मुकेश		निवासी सिकरौदा मीना
3.	लच्छो बेवा रामखिलाडी		तहसील हिण्डौन
4.	महादेवा पुत्र चिरंजी		जिला करौली

5. कैलाशी पत्नी देवीसिंह जाति मीना निवासी सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन
6. रामराज मीना पुत्र डोडीराम मीना जाति मीना निवासी सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज.)
7. तहसीलदार जी तहसील हिण्डौन जिला करौली —————————— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी

उपस्थित :—1. श्री संतोष कुमार मुदगल एडवोकेट सायलान

निर्णय

दिंनाक :— 06.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 63/7 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं. 55 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 215 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, कुल कित्ता—3 कुल रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा स्थित ग्राम सिकरौदामीना, तहसील हिण्डौन सम्वत 1990 में सायलान एवं गैरसायलान सं.

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

1 ता 4 के कॉमन ऐनसेस्टर मृतक गिल्ली की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात रही है जो कि सम्वत 1990 के रेवन्यू रिकार्ड चकबन्दी रजिस्टर, खसरा गिरदावरी, जमाबंदी आदि से भली प्रकार साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि साबिक खसरा नं. 119 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 120 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 121 रकबा 11 बिस्वा, 122 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 123 रकबा 12 बिस्वा कुल किता–5 कुल रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा स्थित ग्राम सिकरौदामीना, तहसील हिण्डौन सम्वत 1990 के रेवन्यू रिकार्ड में मृतक गिल्ली बहिस्सा 1/2 एवं सुगन बहिस्सा 1/2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात रही है जिसका इन्द्राज सं. 1990 की जमाबंदी, चकबंदी रजिस्टर एवं खसरा गिरदावरियों में भली प्रकार अंकित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि सम्वत 2000 से 2020 के सेटिलमेन्ट के दौरान आराजीयात वर्णित मद नं. 1 प्रार्थनापत्र के सेटिलमेन्ट कर्मचारियों ने खसरा नं. 35 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, 243 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 244 रकबा 13 बिस्वा किता–3 कुल रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा एवं आराजीयात वर्णित मद नं. 2 प्रार्थनापत्र से खसरा नं. 84 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 85 रकबा 8 बिस्वा, 86 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 87 रकबा 11 बिस्वा, 88 रकबा 2 बिस्वा, 89 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, किता–6 कुल रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा स्थित ग्राम सिकरौदामीना कायम किये गये जिनकी खातेदारी मृतक गिल्ली के स्थान पर उसके कर्ताखानदान एवं बडे पुत्र होने के नाते गैरसायल सं. 4 के पिता एवं गैरसायल सं. 1 व 2 के बाबा मृतक चिरंजी के नाम तब्दील फरमा दी गई एवं सायल सं. 1 व 2 के पिता एवं 3 ता 6 के बाबा मृतक रामजीलाल जो कि मृतक गिल्ली के छोटे पुत्र थे का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं किया गया, लेकिन कालान्तर में मृतक गिल्ली के दोनों पुत्र चिरंजी एवं रामजीलाल में आपस में आगाध प्रेम व स्नेह के चलते उनके मध्य कभी कोई विवाद नहीं हुआ एवं दोनों भाई मृतक चिरंजी एवं रामजीलाल मौके पर मृतक गिल्ली से विरासत में प्राप्त आराजी पर अपने 1/2 – 1/2 हिस्से पर काबिज एवं दखील रहे जिनके परिवार का सजरा में अंकित किया है कि भागीरथ के एक पुत्र गिल्ली एवं गिल्ली के दो पुत्र चिरंजी, रामजीलाल तथा चिरंजी के दो पुत्र रामखिलाडी व महादेवा तथा रामखिलाडी के वारिस दो पुत्र मुकेश व बलवीर तथा पत्नि लच्छो तथा रामजीलाल के तीन पुत्र धारासिंह, बाबूलाल, कलुआ तथा कलुआ के वारिस पत्नि रामपती, दो पुत्र सोनू, राहुल एवं एक पुत्री रीना हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि सम्वत 2040 में किये गये बंदोवस्त में बंदोवस्त कर्मचारियों ने साविक खसरा नं. 35, 243, 244 के नवीन खसरा नं. 1118 रकबा 65 ऐयर, 283/1926 रकबा 88 ऐयर, किता–2 रकबा 1.53 हैक्टेयर एवं साबिक खसरा नं. 119, 120, 121, 122, 123 के नवीन खसरा नं. 478/1 रकबा 44 ऐयर, 479 रकबा 27 ऐयर, 478/2 रकबा 3 ऐयर, 477 रकबा 34 ऐयर, 476 रकबा 34 ऐयर, कुल किता–5 कुल रकबा 1.42 हैक्टेयर स्थित ग्राम सिकरौदा मीना, तहसील हिण्डौन तरमीम किए हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नं. 478 रकबा 47 ऐयर, 477 रकबा 34 ऐयर, 476 रकबा 34 ऐयर, 479 रकबा 27 ऐयर, कुल किता–4 कुल रकबा 1.42 हैक्टेयर स्थित ग्राम सिकरौदामीना, तहसील हिण्डौन में से मृतक सुगन के वारिसान द्वारा अपने 1/2 हिस्से का बेचान मुकेश कुमार, विनोद कुमार पि. कल्याण प्रसाद को कर दिया गया एवं उक्त आराजीयात में मृतक चिरंजी के वारिसान गैरसायल सं. 1 ता 4 द्वारा भी अपने 1/4 हिस्से का बेचान गैरसायल नं. 5 कैलाशी मीना को कर दिया। इस प्रकार उक्त आराजीयात में अब सायलान का 1/4 हिस्सा शेष रहा है जिसके सायलान खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं जिससे गैरसायल नं. 1 ता 4 का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है लेकिन रेवेन्यू रिकार्ड में वर्तमान में आराजीयात नवीन खसरा नं. 1118 एवं 283/1926 की खातेदारी चिरंजी के वारिसान होने के कारण गैरसायल सं. 1 ता 4 के नाम एवं नवीन खसरा नं. 478/2, 477, 476 किता–3 कुल रकबा 71 ऐयर की खातेदारी मुकेश कुमार, विनोद कुमार पि. कल्याण प्रसाद जाति जांगिड के नाम एवं खसरा नं. 478/1, 479 किता–2 रकबा 71 ऐयर की खातेदारी व गैरसायल सं. 1 ता 4 बहिस्सा 1/2 एवं गैरसायल नं. 5 बहिस्सा 1/2 के नाम दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि सायलान एवं गैरसायलान सं. 1 ता 4 एक ही कॉमन ऐनसेस्टर मृतक गिल्ली की सन्ताने हैं एवं विवादग्रस्त आराजीयात सायलान एवं गैरसायलान सं. 1 ता 4 को मृतक गिल्ली से विरासत में प्राप्त हुई है इसलिए आराजीयात विवादग्रस्त खसरा नं. 1118 रकबा 65 ऐयर, 283/1926 रकबा 88 ऐयर, किता–2 कुल रकबा 1.53 हैक्टेयर स्थित ग्राम सिकरौदामीना, तहसील हिण्डौन में सायलान बहिस्सा 1/2 एवं गैरसायल सं. 1 ता 4 बहिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार हैं एवं आराजीयात खसरा नं. 478/1 रकबा 44 ऐयर, 479 रकबा 27 ऐयर किता–2 कुल रकबा 71 ऐयर स्थित ग्राम सिकरौदामीना, तहसील हिण्डौन में गैरसायल सं. 1 ता 4 अपने हिस्से का बेचान गैरसायल सं. 5 के हक में कर चुके हैं इसलिए गैरसायल सं. 1 ता 4 के स्थान पर सायलान अपने नाम खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है एवं इसी प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

सायलान एवं गैरसायलान मौके पर अपने–अपने हिस्से पर बजमाने बुजुर्गान से काबिज एवं दखील चले आ रहे हैं एवं अपने–अपने हिस्सों पर साल दर साल काश्त करते चले आ रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 10.08.2020 को सायलान अपनी भूमियों पर केसीसी की फाइल बनवाने हल्का पटवारी के पास गये तो हल्का पटवारी ने रिकार्ड का अवलोकन कर जमीनों में सायलान का नाम नहीं होने बाबत अवगत कराया है जिस पर सायलान द्वारा अपनी भूमियों का पुराना रिकार्ड एकत्रित कर श्रीमान तहसीलदार जी तहसील हिण्डौन से रिकार्ड में संशोधन करने बाबत प्रार्थना की तो उन्होंने भी सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने की हिदायत फरमायी है जिस पर सायलान ने गैरसायन स. 1 ता 4 से भूमियों को उनके नाम से सायलान के नाम कराने बाबत कहा तो उन्होंने भी साफ इन्कार कर दिया एवं सायलान को उनके वैधानिक हिस्से से जबरन बेदखल करने की धमकी दी। जिस पर सायलान ने गैरसायलान 1 ता 5 व 7 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 19.08.2020 को पृथक से दावा व प्रार्थनापत्र दायर किए हैं. जिसमें प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुनं. 752/2020 में सायलान का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही सिद्धान्त साबित मानते हुए माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायलान 1 लगायत 4 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद फरमाया गया है कि वे ताफैसला मूल वाद विवादित आराजी खसरा नं. 1118, 283/1926, 478/1, 479 स्थित ग्राम सिकरौदामीना, तहसील हिण्डौन, जिला करौली में संयुक्त खातेदारी भूमि के किसी विशिष्ट भू भाग का विक्रय आदि से अन्तरण नहीं करे। जिसकी बखूबी जानकारी गैरसायलान 1 ता 4 को है। सहवन से रजिस्ट्री तलबाना पेश नहीं करने के कारण प्रकरण में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को दिनांक 15.06.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा विड्रॉ कर दिया गया।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि गैरसायलान सं. 1 ता 4 द्वारा दौराने दावा विवादित आराजी खसरा नं. 283/1926 को गैरसायल सं. 6 रामराज मीना को दिनांक 09.10.2023 को बेचान कर विक्रयपत्र उपपंजीयक हिण्डौन पंजीबद्ध करवा दिया है, जिसका पता सायलान को चलते ही सायलान ने गैरसायल सं. 1 ता 4 से तकाजा किया कि विवादित आराजीयात के संबंध में माननीय न्यायालय में आपके विरूद्ध दावा विचाराधीन है, फिर भी आपने विवादित आराजी खसरा नं. 283/1926 को बेचान क्यो किया है। इस पर गैरसायल सं. 1 ता 4 आग बबूला हो गए और कहने लगे कि हमारा लट्ठ का जोर है, हमें तुम्हारे मुकदमे की कोई परवाह नहीं है। इस तरह गैरसायलान 1 ता 4 द्वारा दौराने दावा विवादित आराजी खसरा नं. 283/1926 का विक्रयपत्र गैरसायल सं.

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

6 रामराज मीना के हक में दिनांक 09.10.23 को पंजीबद्ध करवा दिया है एवं अब गैरसायलान 1 ता 4 व 6 द्वारा आपस में साज कर उक्त विकयपत्र की आड़ में गुपचुप व पोशीदा तरीके से राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर गैरसायल सं. 6 के हक में नामान्तकरण खुलवाने पर आमादा हैं, इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि दौराने दावा यदि गैरसायलान 1 ता 4 व 6 द्वारा आपस में साज कर गुपचुप व पोशीदा तरीके से विवादित आराजी खसरा नं. 283/1926 बाबत गैरसायल सं. 6 के हक में नामान्तकरण खुलवा लिया एवं खातेदारी नाम करा ली तो सायलान का दावा पेश करने का मकसद ही फौत हो जावेगा एवं सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति द्रव्य में भी संभव नहीं हो सकेगी। इस कारण गैरसायलान को ताफैसला मूल वाद जरिये स्थगन पाबंद किया जाना कानूनन आवश्यक व न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि सायलान का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति बखूवी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान 1 ता 4 व 6 को जरिये स्थगन आदेश पाबंद फरमाया जाये कि वह ताफैसला मूल वाद विवादित आराजी खसरा नं. 283/1926 के संबंध में गैरसायल सं. 6 के हक में नामान्तकरण की कार्यवाही नहीं करे। गैरसायल सं. 7 को भी जरिये स्थगन पाबंद किया जावे कि यह दौराने दावा विवादित आराजी खसरा नं. 283/1926 के सबंध में गैरसायल सं. 6 के हक में नामान्तकरण तस्दीक नहीं करे। गैरसायलान वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 283/1926 के संबंध में रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 04.09.2025 को गैरसायलान बावजूद तामील जरिये उपस्थित नहीं हुए इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

सायलान ने दस्तावेजी सबूत में नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 752/2020 उनवानी धारासिंह व अन्य बनाम महादेवा व अन्य प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की आदेशिका दिनांक 19.08.2020 से दिनांक 13.02.2023 तक, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 09.10.2023 उनवानी बलबीर, मुकेश पिसरान रामखिलाडी, लच्छो पत्नि रामखिलाडी, महादेवा पुत्र चिरंजी जातियान जोगी निवासी सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन – विक्रेता प्रथम पक्ष बहक रामराज मीना पुत्र डोडीराम मीना जाति मीना निवासी सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन जिला करौली – क्रेता द्वितीय पक्ष, पेश किये हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी गई।वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 752/2020 उनवानी धारासिंह व अन्य बनाम महादेवा व अन्य प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की आदेशिका दिनांक 19.08.2020 से दिनांक 13.02.2023 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 19.08.2020 को उक्त प्रकरण में अन्तिरिम स्थगन आदेश जारी कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1118, 283/1926, 478/1, 479 स्थित ग्राम सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन में आगामी तिथि तक संयुक्त खातेदारी भूमि के किसी विशिष्ट भू–भाग का विक्रय आदि से अन्तरण नहीं करें। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पेशी तक पेश नहीं होने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा तथा आदेशिका दिनांक 15.06.2022 को उक्त स्थगन आदेश को विद्ड्रो करने के आदेश दिये गये।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.10.2023 उनवानी बलबीर, मुकेश पिसरान रामखिलाडी, लच्छो पत्नि रामखिलाडी, महादेवा पुत्र चिरंजी जातियान जोगी निवासी सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन – विक्रेता प्रथम पक्ष बहक रामराज मीना पुत्र डोडीराम मीना जाति मीना निवासी सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन जिला करौली – क्रेता द्वितीय पक्ष के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 283/1926 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन में निहित विक्रेता बलबीर, मुकेश, लच्छो ने अपनी सम्पूर्ण खातेदारी व सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 का 155/440 भाग की आराजी को व विक्रेता महादेवा ने अपनी सम्पूर्ण खातेदारी व सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 का 1/2 भाग की आराजी को क्रेता श्री रामराज मीना द्वितीय पक्ष को बेचान कर दिया है तथा विक्रय धन राशि नकद प्राप्त करना अंकित किया है तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा वाकई मौके पर क्रेता को संभलाना अंकित किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.10.2023 उनवानी बलबीर, मुकेश पिसरान रामखिलाडी, लच्छो पत्नि रामखिलाडी, महादेवा पुत्र चिरंजी जातियान जोगी निवासी सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन – विक्रेता प्रथम पक्ष बहक रामराज मीना पुत्र डोडीराम मीना जाति मीना निवासी सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन जिला करौली – क्रेता द्वितीय पक्ष बाबत आराजी खसरा नम्बर 283/1926 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन का बेचान किया गया है वह स्थगन आदेश

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

समाप्ति के पश्चात किया गया है। सायलान के द्वारा कोई भी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी की प्रति पेश नहीं की है कि जिससे यह साबित हो सके कि विवादित आराजीयात की खातेदारी वर्तमान में किसके नाम है तथा सेटिलमेन्ट से पूर्व किसके नाम थी। गैरसायलान के द्वारा किया गया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सही है, जिसके नामान्तकरण की कार्यवाही पर रोक लगाया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों के अभाव में सायलान का उक्त विवादित आराजीयात में कोई हिस्सा किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सायलान का प्रथमदृष्टया केस साबित नहीं है और ना सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 283/1926 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/2/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)